



2026:AHC:127143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19747 वर्ष 2026

प्रिंस मोदनवाल..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : लोरिक यादव

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. धारा 105 बी.एन.एस., थाना चोलापुर, जिला वाराणसी के तहत केस अपराध संख्या-94 वर्ष 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। दिनांक 4.3.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है और उसका नाम सूचनाकर्ता द्वारा तब लिया गया था जब विवेचनाधिकारी द्वारा 5.3.2026 को उसका बयान दर्ज किया गया था। चोट पहुंचाने का मुख्य आरोप सह-आरोपी सोमारू मोदनवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में अकेले नामजद किया गया था। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 5.4.2026 से जेल में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. सह-आरोपी सोमारू मोदनवाल के खिलाफ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और मृतक को चोट पहुंचाने का मुख्य आरोप सह-आरोपी सोमारू मोदनवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और आवेदक का नाम पहले सूचनाकर्ता द्वारा विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में लिया गया था। सूचनाकर्ता द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया गया था। मुख्य आरोपी सोमारू मोदनवाल को विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना में दोषमुक्त पाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

9. आवेदक-प्रिंस मोदनवाल, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।



(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं. / 84 भा.ना.सु.सं. के अधीन उद्धोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-क भा.दं.सं. / 209 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।